

1 प्र0कं0 44 / 2015 अपील फौजदारी

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्र0कं0 44 / 2015 अ0फौ0

संस्थिति दिनांक 07.08.2015

लाखन सिंह पुत्र खच्चू खटीक, उम्र 40 वर्ष। निवासी
ग्राम बेहट, थाना बेहट, जिला ग्वालियर म.प्र.

.....अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ

तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

.....प्रतिअपीलार्थी/अभियोगी

अपीलार्थी द्वारा श्री केशव सिंह गुर्जर अधिवक्ता

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर
लोक अभियोजक

न्यायालय श्री गोपेश गर्ग, जे0एम0एफ0सी0 गोहद द्वारा
दाण्डिक प्र0कं0 354 / 2008 ई.फौ. में निर्णय व दण्डाज्ञा
दिनांक 10-07-2015 से उत्पन्न दांडिक अपील क्रमांक
44 / 2015

// निर्णय //

(आज दिनांक 02-08-2017 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी की ओर से यह दांडिक अपील न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (श्री गोपेश गर्ग) द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 354 / 2008 ई.फौ. शा0पु0 मौ वि0 लाखन, में पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 10.07.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 30.05.2008 को फरियादी सियाशरण, भूपेन्द्र एवं मृतक हरेन्द्र मौ बसस्टेण्ड से बस में बैठकर अपने गांव मघन के लिए जा रहे थे

और मौ स्योढा रोड पर तीनों लोग बस से उतर गए और सड़क के किनारे खड़े हो गए, उसी समय स्योढा की तरफ से भूसे से भरी टाटा 407 क्रमांक एम.पी. 07 जी 0922 को उसका चालक उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही से चलाकर लाया और हरेन्द्र को टक्कर मार दी जिससे हरेन्द्र की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और आरोपी मौके से भाग गया। उक्त आशय की रिपोर्ट फरियादी सियाशरण के द्वारा पुलिस थाना मौ पर दर्ज कराई जिस पर थाना मौ में अप0क0 44/08 अंतर्गत धारा 304ए भा.द.वि की पंजीबद्ध किया गया एवं अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण कर अधीनस्थ न्यायालय में आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोपी के विरुद्ध 304ए भा.द.वि के आरोप पाये जाने से आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने अस्वीकार किया।

03. अधीनस्थ न्यायालय में अभियोजन साक्षी भूपेन्द्र अ0सा0 1, शिवराजसिंह यादव अ0सा0 2 सियाशरण अ0सा0 3, प्रहलाद अ0सा0 4, सुभाष बाबू अ0सा0 5, डॉ0 सुनीता सिंह अ0सा0 6, मोहम्मद खॉन अ0सा0 7 की साक्ष्य कराई गई। दंड प्रक्रिया संहिता 313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने अपने आपको निर्दोष होकर झूठा व्यक्त किया तथा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दी गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 304ए के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए उक्तानुसार दंडित किया है जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गई है।

04. अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश को विधि एवं तथ्य के विपरीत, साक्षियों के कथनों में गंभीर विरोधाभास, साक्ष्य का विपरीत निष्कर्ष निकालने, साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन किये जाने में त्रुटि किये जाने एवं आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश विधि के मान्य सिद्धांत के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश को अपास्त करने और अपीलार्थी को दोषमुक्त घोषित किये जाने की प्रार्थना की है।

05. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना दर्शाते हुये अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री केशव सिंह गुर्जर एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क0

354/2008 (शासन मौ विरुद्ध लाखनसिंह) का अवलोकन किया गया।

07. इस अपील के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :-

1. क्या अधीनस्थ न्यायालय ने दांडिक प्र0 क0 354/2008 में आरोपी/अपीलार्थी की दोषसिद्धि का जो निष्कर्ष निकाला है वह त्रुटिपूर्ण है?
2. क्या अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण साक्ष्य विवेचन किया है?
3. क्या अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य?

::- निष्कर्ष के आधार-::

08. अपीलार्थी अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि घटनास्थल पर वाहन जप्त नहीं किया गया है और न ही घटना के समय आरोपी/अपीलार्थी का वाहन को चलाना प्रमाणित हुआ है, किन्तु उसके उपरांत भी विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध किये जाने में त्रुटि की है। साथ ही इन तर्कों पर भी बल दिया है कि प्रकरण में सभी साक्षीगण हितबद्ध हैं।

09. घटना के संबंध में यदि प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी भूपेन्द्र सिंह अ0सा0 1, सियाशरण अ0सा0 3 व प्रहलाद अ0सा0 4 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो उक्त तीनों ही साक्षी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी दर्शाए गए हैं। साक्षी शिवराजसिंह अ0सा0 2 जो कि मृतक का पिता है घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और इस साक्षी ने अपने कथनों में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह अपने घर पर मौ में था और घटना कारित होने के एक घण्टे पश्चात् मौके पर पहुँचा था।

10. घटना के संबंध में साक्षी भूपेन्द्र सिंह अ0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह दिनांक 30.05.2008 को वह और हरेन्द्र माँ से मधन के लिए बस में बैठे थे, जैसे ही वह बारह बीघा पर बस से उतरे उसी समय मेटाडोर क्रमांक एम.पी. 07 जी. 922 का चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और हरेन्द्र को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से हरेन्द्र मौके पर ही खत्म हो गया था। घटना के समय लाखन सिंह मेटाडोर को चला रहा था और वह गाड़ी लेकर मौ की तरफ भाग गया था। उस समय मौके पर प्रहलाद व सियाशरण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

11. साक्षी सियाशरण अ0सा0 3 जिसके द्वारा प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ने भी अपने कथनों में इन तथ्यों की पुष्टि की है कि घटना दिनांक को वह हरेन्द्र और भूपेन्द्र मौ से मघन गांव बस से जा रहे थे। वह लोग बारह बीघा पर उतर गए थे और वहाँ खड़े हुए थे, उसी समय स्योंढ़ा की तरफ से भूसा की भरी टाटा 407 क्रमांक एम.पी. 07 जी. 0922 को चालक लखनलाल तेजी से लहराता हुआ लाया और उसने हरेन्द्र को टक्कर मार दी जिससे हरेन्द्र को सिर में गंभीर चोट आई थी। गाडी को चालक मौ की तरफ भगाकर ले गया था। इस साक्षी का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि चालक को उसने देख लिया था और उसने तत्काल गाडी का नम्बर भी नोट कर दिया था और बाद में वह मौ थाना पर रिपोर्ट करने गया था।

12. घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई? इन तथ्यों एवं साक्षी भूपेन्द्रसिंह अ0सा0 1 एवं सियाशरण अ0सा0 3 के कथनों की पुष्टि साक्षी प्रहलाद अ0सा0 4 ने भी अपने कथनों में की है।

13. मृतक का शव परीक्षण डॉ० सुनीतासिंह अ0सा0 6 के द्वारा किया गया है। इस साक्षी ने अपने कथनों में इन तथ्यों की पुष्टि की है कि उसने दिनांक 30.05.2008 को मृतक हरेन्द्र पुत्र शिवराजसिंह के शव का परीक्षण किया था। मृतक के सिर में एक कुचला हुआ घाँव दिखाई दे रहा था एवं घाँव से सिर की हड्डी दिखाई दे रही थी तथा उसके गाल की हड्डी एवं आँखों का फ्रेक्चर भी था तथा मृतक के कंधे, कंधे के जोड़, दाहिने हाथ पर रगड़ के निशान थे। इस साक्षी ने अपने कथनों में इन तथ्यों की पुष्टि की है कि मृतक हरेन्द्र सिंह की मृत्यु मस्तिष्क में चोट आने एवं खून ज्यादा आ जाने के कारण हुई थी। इस संबंध में साक्षी का यह स्पष्ट अभिमत भी रहा है कि मृतक की मृत्यु रोड साइड एक्सीडेंट में होना प्रतीत हो रही थी।

14. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि मौके पर कोई वाहन जप्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाकारी वाहन से ही दुर्घटना हुई यह प्रमाणित नहीं हुआ है। बचाव पक्ष की ओर से लिए गए तर्कों के संबंध में यदि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो साक्षी सियाशरण अ0सा0 3 ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि उसने तत्काल गाडी का नम्बर नोट कर लिया और थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखाई थी। यहाँ यह महत्वपूर्ण है

कि घटना दिनांक 30.05.2008 को लगभग 19 बजे होना दर्शाई गई है और घटना के 15 मिनट पश्चात् ही प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई है, जिसमें स्पष्टतः गाडी नम्बर का उल्लेख है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने वाले एवं प्रकरण के विवेचनाधिकारी साक्षी मोहम्मद खॉन अ0सा0 7 ने अपने कथनों में इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसने दिनांक 30.05.2008 को ही वाहन क्रमांक एम.पी. 07 जी. 0922 अजमेरसिंह के होटल के सामने खड़ी हुई अवस्था में जप्त किया था। अतः साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटनाकारी वाहन घटना दिनांक को ही घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर ही भूसे से भरी हुई अवस्था में जप्त किया गया था। चक्षुदर्शी साक्षी घटना के समय दुर्घटनाकारी वाहन के चालक के द्वारा वाहन को भगाकर ले जाने संबंधी तथ्य की पुष्टि करते हैं। ऐसी स्थिति में घटना के तत्काल पश्चात् लेख कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से दुर्घटनाकारी वाहन की पहचान के संबंध में कोई संदिग्धता नहीं रह जाती है और घटना दिनांक को ही दुर्घटनाकारी वाहन जप्त कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र घटनास्थल से वाहन जप्त न होना यह मान्य किये जाने का आधार नहीं है कि दुर्घटनाकारी वाहन से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई।

15. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर भी अत्यधिक बल दिया है कि घटना के समय आरोपी/अपीलार्थी ही वाहन चला रहा था इस संबंध में गंभीर संदेह है और प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है और इस संबंध में साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। यदि इस संबंध में भूपेन्द्र सिंह अ0सा0 1, सियाशरण अ0सा0 3, प्रहलाद अ0सा0 4 के न्यायालयीन कथनों का अवलोकन किया जाए तो इन साक्षियों के पुलिस कथन व न्यायालयीन कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है। तीनों ही साक्षियों ने स्पष्टतः घटना के समय अपीलार्थी द्वारा वाहन चलाए जाने संबंधी स्पष्ट कथन किए हैं। तीनों ही साक्षियों ने वाहन की स्पष्टतः नम्बर से पहचान की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि घटना के समय वाहन कौन चला रहा था प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं हुआ है।

16. चक्षुदर्शी साक्षी भूपेन्द्रसिंह अ0सा0 1, सियाशरण अ0सा0 3, प्रहलाद अ0सा0 4 अपीलार्थी द्वारा टक्कर मारकर दुर्घटना में मृतक हरेन्द्र के चोटिल होने संबंधी एवं मौके पर ही मृत्यु होने

संबंधी कथन करते हैं। कारित चोटों से मृत्यु होने की पुष्टि साक्षी डॉ० सुनीतासिंह अ०सा० 6 के द्वारा की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में इस आशय की विश्वसनीय व स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है कि आरोपी/अपीलार्थी द्वारा घटना दिनांक को वाहन क्रमांक एम.पी. 07 जी. 0922 को चलाकर दुर्घटना कारित की।

17. प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या उक्त कृत्य आरोपी/अपीलार्थी की उपेक्षा व लापरवाही के परिणामस्वरूप घटित हुई?

18. विधि प्रत्येक व्यक्ति पर जो कि किसी वाहन को लोक मार्ग पर चलाता है, उस पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वह दूसरों के शरीर व सम्पत्ति के प्रति युक्तियुक्त सावधानी बरते, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति कारित न हो और यह कर्तव्य उस स्थिति में और अधिक बढ़ जाता है, जहाँ कि व्यक्तियों को आना जाना अथवा उपस्थित रहना संभावित हो।

19. उपेक्षा विनिर्दिष्ट अपकृत्य है और किसी भी दी गई परिस्थिति में उस सावधानी का प्रयोग करने की असफलता है जिसकी परिस्थितियाँ माँग करती हैं। उपेक्षा की कोटि में क्या आता है, यह प्रत्येक विशिष्ट मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। विशिष्ट मामले में अपेक्षित सावधानी की मात्रा प्रतिवेशी परिस्थितियों पर निर्भर करती है और परिणामित होने वाले खतरे की मात्रा और भावी उपहति की व्यापकता के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। तात्त्विक विचारण सावधानी का अभाव है, जो मामले की परिस्थितियों में आरोपी/अपीलार्थी से मृतक के प्रति अपेक्षित थी।

20. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304(क) उन्ही मामलों में लागू होती है, जिसका कार्य उतावलेपन व उपेक्षा से हो। शब्दोकोशीय अर्थ के अनुसार "उतावलेपन" का तात्पर्य "असावधानी" किसी के कार्य के सम्भव नुकसानीपूर्ण परिणाम पर "ध्यान न देना" या लापरवाही है और ध्यान न देने से युक्तियुक्त तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को संभावित खतरे या कार्य के परिणाम की जानकारी थी, किन्तु वह उस सावधानी के प्रति उदासिन रहा और उसने संभावित जोखिम को कम करने या रोकने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया, तात्पर्य व्यक्ति जब यह जानते हुए जानबूझकर कार्य करता है कि उसमें क्षति का कुछ जोखिम है जो कार्य का परिणाम है, किन्तु उस पर भी उस कार्य के अपालन में निरंतर बना रहता है

|

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपेक्षा शब्द को अपने न्याय दृष्टान्त नरेश गिरी विरुद्ध म०प्र० राज्य 2008 (1) सी०सी०एस०सी० 376 (एस०सी०) में परिभाषित करते हुए इंग्लिस विधि को उद्धृत करते हुए सम्प्रेक्षण दिया है जो अवलोकनीय है:-

"Yet a man may bring about an event without having adverted to it at all, he may not have foreseen that his actions would have this consequence and it will come to him as a surprise. The event may be harmless or harmful, if harmful, the question rises whether there is legal liability for it. In tort (at common law) this is decided by considering whether or not a reasonable man in the same circumstances would have realised the prospect of harm and would have stopped or changed his course so as to avoid it. If a reasonable man would not, then there is no liability and the harm must lie where it falls. But if the reasonable man would have avoided the harm then there is liability and the perpetrator of the harm is said to be guilty of negligence. The word 'negligence' denotes, and should be used only to denote, such blameworthy inadvertence, and the man who through his negligence has brought harm upon another is under a legal obligation to make reparation for it to the victim of the injury who may sue him in tort for damages. But it should now be recognized that at common law there is no criminal liability for harm thus caused by inadvertence. This has been laid down authoritatively for manslaughter again and again. There are only two states of mind which constitute mens rea and they are intention and recklessness. The difference between recklessness and negligence is the difference between advertence and inadvertence they are opposed and it is a logical fallacy to suggest that recklessness is a degree of negligence. The common habit of lawyers to qualify the word "negligence" with some moral epithet such as 'wicked' 'gross' or 'culpable' has been most unfortunate since it

has inevitably led to great confusion negligence since this is merely to use an expression in order to explain itself."

22. उतावलेपन से तात्पर्य असावधानी से है, जिसे नुकसानी पूर्ण परिणाम के उस प्रयोग की सम्भाव्यता के प्रति सामान्य प्रज्ञा युक्त व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होने से तात्पर्यित है जो कि वह असावधानित नहीं रहता तो वह असफलता के लिए दोषी नहीं होता । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उतावलेपन को न्याय दृष्टान्त नरेश गिरी विरुद्ध म०प्र० राज्य 2008 (1) सी०सी०एस०सी० 376 (एस०सी०) में इंग्लिस विधि के न्याय दृष्टान्त आर० बनाम काल्ड बेल्ड को उद्धृत करते हुए सम्प्रेक्षित किया है जो अवलोकनीय है:-

"Nevertheless, to decide whether someone has been 'reckless', whether harmful consequences of a particular kind will result from his act, as distinguished from his actually intending such harmful consequences to follow, does call for some consideration of how the mind of the ordinary prudent individual would have reacted to a similar situation. If there were nothing in the circumstances that ought to have drawn the attention of an ordinary prudent individual to the possibility of that kind of harmful consequence, the accused would not be described as 'reckless' in the natural meaning of that word for failing to address his mind to the possibility; nor, if the risk of the harmful consequences was so slight that the ordinary prudent individual on due consideration of the risk would not be deterred from treating it as negligible, could the accused be described as reckless in its ordinary sense, if, having considered the risk, he decided to ignore it. (In this connection the gravity of the possible harmful consequences would be an important factor. To endanger life must be one of the most grave). So, to this extent, even if one ascribes to 'reckless' only the restricted meaning adopted by the Court of Appeal in *Stephenson and Briggs*, of foreseeing that a particular kind of harm might happen and yet going on to take the risk of it, it involves a test that would

be described in part as 'objective' in current legal jargon. Questions of criminal liability are seldom solved by simply asking whether the test is subjective or objective."

23. प्रश्नगत प्रकरण में साक्षी भूपेन्द्र सिंह अ0सा0 1, सियाशरण अ0सा0 3, प्रहलाद अ0सा0 4 का अपने कथनों में यह स्पष्ट कहना रहा है कि वह एक किनारे पर खड़े थे, उसी समय अपीलार्थी अपने वाहन को एकदम तेजी से लेकर आया और हरेन्द्र को टक्कर मार दी। इस संबंध में यदि साक्षी भूपेन्द्रसिंह अ0सा0 1 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि हरेन्द्र बस से उतरकर सड़क की दाहिनी ओर खड़ा गया था, उसी समय एक्सीडेंट हो गया। अगर यह मान भी लिया जाए कि मृतक अनी बस से उतरकर दाहिनी ओर गया था तब भी यदि प्रकरण में प्रस्तुत नक्शामौका प्र. पी. 5 का अवलोकन किया जाए तो घटनास्थल रोड पर एक तरफ किनारे की ओर है। ऐसी स्थिति में चक्षुदर्शी अभियोजन साक्षियों के इन कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण रिकार्ड पर नहीं है कि घटना के समय वह रोड के किनारे एक तरफ खड़ा हुआ था और उसी समय अपीलार्थी ने वाहन को तेजी से चलाकर हरेन्द्र को टक्कर मार दी।

24. अपीलार्थी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही घटना का स्पष्टीकरण प्रकरण में प्रस्तुत किया है और केवल यह आधार लिया है कि वह घटना के समय वाहन नहीं चला रहा था, किन्तु प्रकरण में इस आशय की विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर है कि घटना के समय आरोपी/अपीलार्थी ही दुर्घटनाकारी वाहन को चला रहा था।

25. यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि घटना के बाद आरोपी/अपीलार्थी मौके पर नहीं रुका, बल्कि टक्कर मारने के बाद अपने वाहन को भगाकर ले गया। नक्शामौका प्र.पी. 5 का अवलोकन किया जाए तो जिस स्थान पर दुर्घटना घटित हुई है उसके पास ही मघन गांव का रास्ता मुड़ा हुआ है, जहाँ कि चक्षुदर्शी साक्षीगण व मृतक खड़ा हुआ था। चार लोगों को खड़ा हुआ देखने के पश्चात् भी आरोपी ने अपने वाहन की स्पीड कम क्यों नहीं की इसका कोई स्पष्टीकरण रिकार्ड पर नहीं है। जबकि प्रकरण में परिस्थितियाँ एवं अपीलार्थी पर अधिरोपित विधिक दायित्व यह अपेक्षा करता है कि अपीलार्थी ऐसे स्थान

पर वाहन को संयमित व धीरे चलाए।

26. दुर्घटनाकारी वाहन में दुर्घटना के समय कोई यांत्रिकी खराबी थी जो कि अपीलार्थी के नियंत्रण से बाहर थी ऐसा कोई आधार अपीलार्थी की ओर से नहीं लिया गया है। प्रकरण में साक्षी सुभाषबाबू अ0सा0 5 के द्वारा दुर्घटनाकारी वाहन की जाँच की गई है, जिसमें ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाई गई है जिसको दुर्घटना के लिए जबाबदेही माना जा सके। घटना के समय आरोपी/अपीलार्थी अत्यधिक सतर्क व सावधान था कि मृतक की उपेक्षा व लापरवाही के द्वारा दुर्घटना कारित होना प्रकरण में न तो ऐसी परिस्थितियाँ है और न ही आरोपी के द्वारा ऐसा आधार लिया गया है। जबकि इस संबंध में प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षियों की विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर है कि दुर्घटना के समय अपीलार्थी वाहन को अत्यन्त तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए टक्कर मारकर भाग गया।

27. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी/अपीलार्थी को भा.द.वि की धारा 304ए के अंतर्गत दोषसिद्ध पाए जाने का जो निष्कर्ष निकाला है वह साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित होकर विधि के मान्य सिद्धांतों पर आधारित है जिसकी पुष्टि की जाती है।

28. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिए गए दण्ड पर विचार किया गया। प्रकरण में आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध भा.द.वि की धारा 304ए का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण में यह साक्ष्य भी आई है कि आरोपी/अपीलार्थी मौके पर दुर्घटना कारित करने के पश्चात् रुका नहीं, बल्कि वाहन भगाकर ले गया। विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को दो वर्ष के कारावास से दंडित किया है। प्रकरण में इस प्रकार की कोई परिस्थितियाँ नहीं है जिसमें अपीलार्थी के विरुद्ध दिए गए दण्डादेश में कोई परिवर्तन किया जाए। परिणामतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए दण्डादेश की पुष्टि की जाती है। आरोपी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

29. आरोपी जमानत पर है उसकी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं एवं उसे अभिरक्षा में लेकर संलग्न सजा वारंट अनुसार सजा भुगताए जाने हेतु उपजैल गोहद भेजा जावे।

30. निर्णय की एक प्रति आरोपी को निशुल्क प्रदान की जावे।
31. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।
30. निर्णय की प्रति सहित मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)